


(C)

फैसल अहकाम

अज अदालत SDO (नियम 26) बकीया  
 पुलास  
चिशनलल वनाम मैरुह लट  
 किस्म मुकदमा 120 RL Act नं. 62/21 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही पय इतिशियत्स जज	सम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/6/21	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>218.5 का. (क)</u>.....                      ग्राम.....<u>218.5 का. (क)</u>..... की आ.न.....<u>122/142</u>..... की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।                      प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।                      पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">                           उपखण्ड अधिकारी                          बडीसादडी                          बडीसादडी ज. बिटी इगत                     </p>	

